जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 17.04.2024***

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 17.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 152/2024 धारा 323/363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त राकेश मौर्या पुत्र रामप्यारे मौर्या निवासी ऊँचागांव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 17.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, का0 अनूप यादव।